भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 961
दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी

961. **श्री ए.राजा:**
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री तमिलसेल्वन थंगा:
कु. सुधा आर.:
श्री टी. एम. सेल्वागणपति:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर गंभीरता से ध्यान दिया है कि हाल ही में डेल्फ़्ट द्वीप के पास मछुआरों की गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध बल प्रयोग सहित तमिलनाडु और पुडुचेरी के 750 से अधिक मछुआरों को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में तमिलनाडु के संसद सदस्यों और मुख्यमंत्री से अब तक क्या अभ्यावेदन/पत्र, यदि कोई हो तो, प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मछुआरों और उनकी नौकाओं को तुरंत छुड़ाने के लिए कूटनीतिक कदम और त्वरित कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस गंभीर मुद्दे का स्थायी सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए एक मजबूत और समन्वित प्रयास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी मछुआरे को अभी भी हिरासत में रखा गया है और उस पर मुकदमा चल रहा है और यदि हां, तो उनकी कैद की अवधि कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या घायल मछुआरों को केंद्र सरकार से तत्काल मुआवजा प्राप्त हुआ है या उनका पुनर्वास किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार अपने जल क्षेत्र में मजबूत समुद्री सुरक्षा उपाय करने में विफल रही है, जिससे विदेशी नौसैनिक बल भारतीय मछुआरों को बार-बार डराते हैं, उन पर हमला करते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से छ) विदेशों में भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने का विवरण इस प्रकार है:

देश	हिरासत में मछुआरों की संख्या **(27** नवंबर **2025** तक**)**
श्री लंका	66 (18 विचाराधीन, सजा काट रहे 48)
पाकिस्तान	200
बांग्लादेश	70
इराक	02

सरकार ने कई अवसरों पर बताया है कि श्रीलंका के प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) को पार करने और श्रीलंका के जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में समय-समय पर गिरफ्तार किया जाता है। 1974 में, भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच आईएमबीएल पर सहमति बनी थी। इसे अंतिम रूप देने से पहले केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु की तत्कालीन राज्य सरकार से परामर्श किया गया था। 1976 में हुआ एक अन्य करार, जो तत्कालीन केंद्र सरकार और उसके श्रीलंकाई समकक्ष द्वारा पत्रों के औपचारिक आदान-प्रदान के माध्यम से किया गया था, ने यह निर्धारित किया कि भारत के मछली पकड़ने के जहाज और मछुआरे ऐतिहासिक जल, क्षेत्रीय समुद्र और श्रीलंका के अनन्य क्षेत्र में मछली पकड़ने में शामिल नहीं होंगे। इस मौजूद स्थिति को देखते हुए सरकार ने, 2014 से, भारतीय मछली पकड़ने वाले समुदाय के आजीविका हितों के मुद्दों के समाधान और इसके मानवीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। सरकार ने हमारे मछुआरों के कल्याण के साथ-साथ उनकी शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका के नेताओं और संबंधित प्राधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा है।

जब भी भारतीय मछुआरों के घायल होने की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो सरकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से तुरंत इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाती है। भारतीय मिशनों और केंद्रों द्वारा उनके कल्याण के साथ-साथ उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कोंसली पहुंच प्राप्त करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाते हैं। श्रीलंका सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वह इस मुद्दे को मानवीय और आजीविका संबंधी मुद्दे का विषय

समझे। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मछुआरों से संबंधित सभी मुद्दों को द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों के माध्यम से भी निपटाया जाता है जैसे कि मत्स्य पालन संबंधी संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठकें, जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

सरकार के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, मई 2014 से अब तक, 3622 भारतीय मछुआरों की रिहाई और प्रत्यावर्तन हुआ है। इसके अलावा, सरकार ने 25 अगस्त 2025 को श्रीलंका की अदालतों द्वारा छोड़ी गई नावों के निरीक्षण और बचाव करने हेतु भारतीय मछुआरों के एक दल की यात्रा की सुविधा प्रदान की।
